रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत
The Gaz

भा
PART

PU

सं. 643]   नई दिल्ली,
No. 643]   NEW DELHI, FRI

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय आधार पर प्रव
विज्ञापन के माध्यम से धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट अ
वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी।

(2) अध्यक्ष या चयन समिति का कोई सदस
अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी पात्र अभ्यर्थी को केन्द्रीय
नामनिर्देशित कर सकेंगे ।

(3) यथास्थिति उपनियम (1) या उपनिय
अधीन प्राप्त आवेदनों या नामनिर्देशनों की छानबीन या
यदि आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(4) छानबीन समिति, आवेदनों की छानबीन क
सुनिश्चित करेगी कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार
सूचीयन किया गया है उनके पास अधिनियम की
यथा-विनिर्दिष्ट उच्चतर अर्हताएं और अनुभव हैं।

(5) लघु सूचीयन अभ्यर्थियों को चयन समि
साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए

6. वित्तीय और अन्य हित की घोषणा.—प्र
यथास्थिति अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस
अपनी नियुक्ति पर, केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद
नियमों से संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करेगा कि उसक
वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे यथास्थिति अध्यक्ष

न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के पद पर की
अधिकरण में की गई सेवा की गणना, उस सेवा के, जिस
नियमों के अनुसार ली जाने वाली पेंशन के लिए की जाए
साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1950 के
भी शासित होगा ।

(2) अन्य सभी मामलों में, सदस्य अंशदायी भ
(भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

(3) अधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त
उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

10. **यात्रा भत्ता.**—(1) अध्यक्ष, स्थानांतरण
दौरान (जिसके अंतर्गत अधिकरण में पदभार ग्रहण
अधिकरण में अपनी कार्यावधि समाप्त होने पर अपने गृ
के लिए की जाने वाली यात्रा भी है) उन्हीं मापमानों औ
पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, व्यक्तिगत चीजबस्त के प
अन्य समरूप बातों का हकदार होगा जो कि उच्चतम न
किसी न्यायाधीश को यात्रा भत्तों को शासित करने वाले सु
के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

(2) न्यायिक सदस्य, स्थानांतरण पर दौरे के दौरा
अंतर्गत अधिकरण में पदभार ग्रहण करने या अधिकरण
कार्यावधि समाप्त होने पर अपने गृह नगर जाने के लि

समर्थक सामग्री के साथ उस शिकायत को एक समि
रखेगी, जो शिकायत में लगाए गए आरोपों को अन्वे
लिए निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी, अथ

(i) मंत्रिमंडल सचिव

(ii) सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि
और न्याय मंत्रालय

(3) समित अन्वेषण की अपनी स्वयं की ऐसी
पद्धति अपनाएगी जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता के
अभिलिखित किया जाना और ऐसी जांच से सुसंगत
करना भी है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्याया
नियमों के अधीन की जा सकेगी ।

(4) समिति अपने निष्कर्ष यथासंभव शीघ्र उ
भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं,
प्रस्तुत करेगी ।

21. **जांच करने वाला न्यायाधीश.**—(1) यदि
निष्कर्ष प्राप्त होने पर राष्ट्रपति की यह राय है कि अध्य
न्यायिक सदस्य या किसी विशेषज्ञ सदस्य के कदाचार या
किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के युक्तियु

अपने निष्कर्षों और संपूर्ण मामले पर ऐसी मताभिव्यक्ति
वह ठीक समझे, उनके कारणों का कथन करते हुए एक
करेगा ।

प्ररूप

(देखिए नियम 6)

**किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अ
के विरुद्ध घोषणा**

मैं .... राष्ट्रीय हरि
के अध्यक्ष/न्यायिक/विशेषज्ञ सदस्य (जो भाग लागू न हो
के रूप में नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान
करता हूं कि मेरा कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं
भविष्य में होगा जिससे राष्ट्रीय हरित अधिकरण
न्यायिक/विशेषज्ञ सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट
मेरे कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है

तारीख :

स्थान :

(अध्यक्ष/न्यायिक/विशेषज्ञ स
राष्ट्रीय ह

6. Declaration of financial or other intere person, on his appointment as the Chairpers Judicial Member or the Expert Member, as the ca shall give a declaration in Form appended to the the satisfaction of the Central Government, th not have any such financial or other interests as affect prejudicially his functions as such Cl or the Judicial Member or the Expert Member, may be.

CHAPTER III

SALARIES, ALLOWANCES AND COND OF SERVICE OF CHAIRPERSON, JUDI MEMBERS AND EXPERT MEMBE

7. Salary and allowances.—(1) (a) The C shall be entitled to a monthly salary and to such as are admissible to a sitting judge of the Supre

(b) the Judicial Member shall be en monthly salary and to such allowa admissible to a sitting judge of a H and

(c) the Expert Member shall be en monthly salary and to such allowa admissible to a Secretary to the G

Judge of the Supreme Court under the relev
governing travelling allowances.

(2) The Judicial Member while on tour as o
(including the journey undertaken to join the T
on the expiry of his term with the Tribunal to pro
home town) shall be entitled to the travelling al
daily allowance, transportation of personal e
other similar matters at the same scales and the s
as admissible to a Judge of the High Court
relevant rules governing travelling allowances.

(3) The Expert Member while on tour as o
(including the journey undertaken to join the T
on the expiry of his term with the Tribunal to pro
home town) shall be entitled to the travelling al
daily allowance, transportation of personal e
other similar matters at the same scales and the s
as admissible for an officer of Group 'A' serv
Central Government under the relevant rules
travelling allowances.

11. Leave Travel Concession.—The Cha
Judicial Member and an Expert Member shall be
leave travel concession at the same rate, and a
scales and on the same conditions as are admi

(4) The Committee shall submit its find
President as early as possible within a period t
specified by the President in this behalf.

21. Judge to conduct inquiry.—(1) If or
of the findings of the Committee, the Preside
opinion that there are reasonable grounds for
inquiry into the truth of any imputation of misb
incapacity of the chairperson or a Judicial or
Member, he shall make a reference to the Chie
India requesting him to nominate a Judge of th
Court to conduct the inquiry.

(2) The President shall, by order, appoin
of the Supreme Court nominated by the Chie
India for the purpose of conducting the inquir

(3) Notice of appointment of a Judge und
(2) shall be given to the Member concerned.

(4) The President shall forward to the Ju
of—

(i) the articles of charges against th
concerned or the statement of im

(ii) the statement of witnesses, if any

(iii) material documents relevant to th

(5) The Judge appointed under sub-rul
complete the inquiry within such time or furt